



सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक-एफ.2(1404)सूप्रौ/संस्था/13/ I/ 42928/2015

जयपुर, दिनांक: 24/12/2015

नियुक्ति/पदस्थापन आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान कम्प्यूटर सेवा के प्रोग्रामर (Programmer) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में सफल घोषित एवं आयोग की अनुशंषानुसार के आधार पर राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 (समय-समय पर संशोधित) के नियम-28 के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान कम्प्यूटर सेवा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में प्रोग्रामर के पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिये रुपये 17230/-प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration to Probationer Trainees) अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व में नियमित सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफ.डी./रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

प्रोग्रामर

क्र. स.	मेरिट नं.	नाम एवं पिता का नाम	जन्म तिथि	आवंटित श्रेणी	आवंटित कार्यालय/पदस्थापन विभाग	विशेष विवरण
1	69	श्री आशीष माथुर पुत्र श्री दीपक बिहारी माथुर	28-12-1988	GE	प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	सहायक निदेशक के पद के विरुद्ध स्वयं की वेतन श्रृंखला पर
2	73	श्री शैलेश चतुर्वेदी पुत्र श्री ज्ञान चंद शर्मा	08-09-1986	GE	प्रोग्रामर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	रिक्त पद पर
3	74	श्री पंकज कुमार शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा	10-10-1990	GE	प्रोग्रामर, कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जिला अलवर	रिक्त पद पर
4	96	सुश्री प्रियंका पुत्री श्री कर्मवीर यादव	15-06-1988	GE, WE	प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
5	98	सुश्री मधु लता अग्रवाल पुत्री श्री मुरारी लाल अग्रवाल	17-08-1989	GE, WE	प्रोग्रामर, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर	रिक्त पद पर
6	99	सुश्री वर्षा शर्मा पुत्री श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	18-07-1990	GE, WE	प्रोग्रामर, कार्यालय आयुक्त, सैटलमेन्ट विभाग (Settlement Department), जयपुर	रिक्त पद पर
7	123	श्री शंकर लाल कुम्हार पुत्र श्री जगदीश चंद कुम्हार	22-02-1986	BC, DC	प्रोग्रामर, नगर विकास प्रन्यास (यू.आई.टी.), उदयपुर	रिक्त पद पर
8	139	सुश्री सोनू बेनीवाल पुत्री श्री साहब सिंह बेनीवाल	22-02-1989	BC, WE	प्रोग्रामर, कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति कांमा, जिला भरतपुर	रिक्त पद पर
9	140	सुश्री पुष्पा पुत्री श्री राम कुमार सैनी	01-07-1990	BC, WE	प्रोग्रामर, कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-सूरजगढ़, जिला झुंझुनू	रिक्त पद पर
10	153	श्री तुलसा राम परिहार पुत्र श्री मांगी लाल परिहार	08-02-1982	SC	प्रोग्रामर, कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-सम, जिला जैसलमेर	रिक्त पद पर
11	155	श्री देवेन्द्र कुमार मोर्य पुत्र स्व. श्री गोपाल लाल मोर्य	14-10-1989	SC	प्रोग्रामर, कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जिला उदयपुर	रिक्त पद पर
12	180	श्री प्रणव दशोरा पुत्र श्री विद्याधर दशोरा	29-12-1991	GE, BL	प्रोग्रामर, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जिला मुख्यालय, चित्तौड़गढ़	रिक्त पद पर
13	184	श्री शिव राज सोनी पुत्र श्री चन्दन मल सोनी	21-02-1985	BC, BL	प्रोग्रामर, कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-कुचामन सिटी, जिला नागौर	रिक्त पद पर

12

नोट: उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को दी गई नियुक्ति / पदस्थापन इस विभाग द्वारा वांछित दस्तावेजों के सत्यापन तथा पुलिस चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की सही रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर दी गई है।

उपरोक्त अभ्यर्थियों की प्रोग्रामर पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों पर की जा रही है:-

1. उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के नियम 28 उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
2. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार अंकित की गई है।
3. उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में अधिकथित प्रमाण-पत्र की शर्त के अधीन होगी।
4. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी की परीवीक्षा के अन्तर्गत नियम पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होंगे।
5. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही "प्रोग्रामर" की वेतन श्रृंखला (पी.बी-2) 9300-34800 (ग्रेड पे नं. 14) ग्रेड पे-4800 में न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट 2 प्रतियों में तैयार की जावे। एक प्रति संबंधित अधिकारी एवं दूसरी प्रति इस विभाग के विभागाध्यक्ष यथा "शासन सचिव एवं आयुक्त, आई.टी. बिल्डिंग, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.)-302005" को आवश्यक रूप से भेजे। अभ्यर्थी कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से भी भेजी जानी अनिवार्य है।
6. यह नियुक्ति अभ्यर्थी के स्वास्थ्य एवं चाल-चलन ठीक प्रमाणित होने के क्रम में कार्यभार सम्भालने की दिनांक को निम्नलिखित दस्तावेज कार्यभार ग्रहण करते समय पदस्थापन कार्यालय में प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे:-
 - क. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण-पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के संबंध में सक्षम अधिकारी, किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
 - ख. दो राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र (जो कि 6 माह से पूर्व का नहीं हों) प्रस्तुत करने होंगे।
 - ग. अभ्यर्थी को उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जिसमें उसने अंतिम शिक्षा पाई है, के प्रधान शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाण-पत्र एवं मूल दस्तावेज के साथ (आवश्यक सभी दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित (नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित अमान्य) छाया प्रति का एक पूरा सैट प्रस्तुत करना होगा साथ ही, अभ्यर्थी के द्वारा कम्प्यूटर क्षेत्र से संबंधित पूर्व में अर्जित की गई सभी तकनीकी योग्यताओं का इन्द्राज पदस्थापन विभाग में सेवा पुस्तिका में करवाया जाकर इस विभाग को सूचित किया जाना आवश्यक है तथा इसके अभाव में प्रार्थी द्वारा जब कभी अन्य विभाग में तकनीकी पदों पर आवेदन अग्रेषित करवाये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण जारी नहीं किया जायेगा।
 - घ. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)(कार्मिक)क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसरण में निर्धारित संलग्न प्रपत्र में कार्यभार ग्रहण करते समय घोषणा जो कि राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित हो, प्रस्तुत करें।
7. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष प्रोग्रामर होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
9. परीवीक्षा काल में कोई वार्षिक वृद्धि देय नहीं होगी।
10. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या प.13 (1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 23.04.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, के अधीन सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
11. वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 16 (5)एफ.डी./रूल्स/98 दिनांक 13-3-2006 के अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा।
12. सभी अभ्यर्थी राजस्थान दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के नियम 6 के तहत अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ करने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है। घोषणा पत्नी, पिता और ससुर द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
13. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिवस के अन्दर अन्दर कार्यभार सम्भालना होगा अन्यथा उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

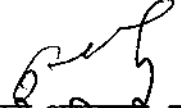


(आशुतोष एम. देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।
- 3 निजी सहायक, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 4 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 5 संबंधित जिला कलक्टर।
- 6 संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष () को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी से वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही उसे कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करावें। साथ ही कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रति विभाग को भिजवायें।
- 7 संबंधित उप खण्ड अधिकारी।
- 8 कार्यालयाध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 9 प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर। यह आदेश इस विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा।
- 10 संबंधित एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सू.प्रौ.एवं संचार विभाग, जिला।
- 11 संबंधित प्रोग्रामर गण () को पंजीकृत डाक द्वारा पालनार्थ।
- 12 संबंधित निजी पत्रावली।
- 13 लेखा शाखा (मय अतिरिक्त प्रति के)।
- 14 रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी, संस्थापन